

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक/एफसीए/उवस/15-16/ 11346

दिनांक 18-12-2021

EXECUTIVE OFFICER,
NAGAR PALIKA OFFICE MANDALGARH,
NEAR BUS STAND, MANDALGARH,
Dist. BHILWARA (RAJASTHAN)

विषय— Diversion of 0.836163 ha. of forest land in favour of Nagar Palika, Mandalgarh, Bhilwara for construction of Mandalgarh-Goth link road (Chinage 00/00 to 3/975) Teshil Mandalgarh, District Bhilwara (Rajasthan) (Proposal No. FP/RJ/ROAD/30812/2017)

प्रसंग:— प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/30812/2017) एवं राजस्थान सरकार वन विभाग का पं. क्रमांक प. 1 (81)वन/2017 जयपुर दि. 21.12.2017 एवं उ.व.सं.(एफ.सी.ए.) जयपुर पं. 3021-22 दि. 25.10.24

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग का पं. क्रमांक प. 1 (81)वन/2017 जयपुर दि. 21.12.2017 द्वारा वांछित प्रकरण में बिना वृक्षों के पातन की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

श्रमिक दरो में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम :— Diversion of 0.836163 ha. of forest land in favour of Nagar Palika, Mandalgarh, Bhilwara for construction of Mandalgarh-Goth link road (Chinage 00/00 to 3/975) Teshil Mandalgarh, District Bhilwara (Rajasthan) (Proposal No. FP/RJ/ROAD/30812/2017)
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण:— राजस्थान सरकार वन विभाग का पं. क्रमांक प. 1 (81)वन/2017 जयपुर दि. 21.12.2017
3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण :— निल
4. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (है.) :— 0.836163 Ha.

कृ.प.उ.....

शर्त क. सं.	अधिरोपित शर्त का विवरण	पूर्व में जमा करायी गयी राशि रु. में	वर्तमान स्वीकृत दर अनुसार राशि रु. में	जमा करायी जाने वाली राशि रु. में
9.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 100 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP(online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	रु. 587000/-	734500/-	147500/-
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007 एफ.सी. दि. 5.2. 2009 तथा पत्र 12-2 /2010 कैम्पा दि. 9.6.2016 में दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी। उक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	रु. 523438/-	800860/-	277422/-

कृपया अन्तर राशि जमा करावे साथ ही पालना स्वरूप ऑनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति प्रेषित कर अवगत करावे। ताकि वन भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

दिनांक 18-12-2024

क्रमांक/एफसीए/उवस/15-16/ 11347

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
भीलवाडा